न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी गणराज बडगोती (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रार्थना पत्र संख्या–16/2024
निर्णय दिनांक–14.10.2024

शेर मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम डारडातुर्की तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0) व अन्य

(कुल कस–3) प्रार्थीगण/वादीगण

बनाम

गुल मोहम्मद पुत्र अली मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम डारडातुर्की तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0) व अन्य

(कुल कस–37) अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा प्रकरण संख्या (57/2015) 110/2018 विड्रो दिनांक 27.05.2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती कायम किये जाने बाबत्

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 व धारा 151 सी.पी.सी. बाबत् रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती कायम किये जाने बाबत् पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया की उक्त उनवानी प्रकरण शेर मोहम्मद वगै. बनाम गुल मोहम्मद वगै. को माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.05.2015 को डिक्री किया गया था तथा उक्त डिक्री पारित होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 21 को खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया गया था। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय में अपील फाईल की गई थी और अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

2015 को निरस्त करते हुए विधिवत् सुनवायी हेतु पत्रावली पुनः रिमाण्ड किया गया था। न्यायालय हाजा के समक्ष पत्रावली के रिमाण्ड होकर पुनः दर्ज होने के पश्चात पक्षकार के बीच राजीनामा हो गया और वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 27.05.2022 को विड्रो कर लिया है। जिसकी वजह से वादीगण के हक में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री शून्य प्रभावी हो चुकी है। पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जो अमल दरामद किया गया था। वह शून्य एवं प्रभावहीन हो जाने की वजह से रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती को कायम किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की उक्त उनवानी प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री से पूर्व की स्थिती को कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया की उनवानी प्रकरण शेर मोहम्मद वगै. बनाम गुल मोहम्मद वगै. को माननीय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.05.2015 को डिक्री किया गया था तथा उक्त डिक्री पारित होने के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड में पारित निर्णय व डिक्री के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 08 के नाम के स्थान पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 21 को खातेदार, काश्तकार घोषित किये जाने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया गया था। राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 1864 दिनांक 18.01.2016 द्वारा परिवर्तन हुआ है। माननीय न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील न्यायालय में अपील फाईल की गई थी और अपीलीय न्यायालय ने प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 को निरस्त करते हुए विधिवत् सुनवायी हेतु पत्रावली पुनः रिमाण्ड किया गया था। न्यायालय हाजा के समक्ष पत्रावली के रिमाण्ड होकर पुनः दर्ज होने के पश्चात पक्षकार के बीच राजीनामा हो गया और वादीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 27.05.2022 को विड्रो कर लिया है। जिसकी वजह से वादीगण के हक में पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री शून्य प्रभावी हो चुकी है। पूर्व में पारित निर्णय व डिक्री के आधार पर नामान्तकरण संख्या 1864 से राजस्व रिकॉर्ड में जो अमल दरामद किया गया था। वह शून्य एवं प्रभावहीन हो जाने की वजह से रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती को कायम किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू डिक्री दिनांक 27.07.2015 व न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 17.07.2018 को पारित निर्णय का अवलोकन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की बउनवानी वाद शेर मोहम्मद बनाम गुल मोहम्मद वगै0 प्रकरण संख्या 57/2015 वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा को न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पारित डिक्री किया गया था। प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील प्रस्तुत कर, जिसका निर्णय राजस्व अपील अधिकारी टोंक द्वारा दिनांक 17.07.2018 को किया जाकर अपीलांट/प्रार्थीगण की अपील आंशिक स्वीकार कर, डिक्री दिनांक 27.07.

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with OKEN Scanner

2015 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गई है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत व सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। जिसकी पालना में प्रकरण को पुनः दिनांक 20.08.2018 को दर्ज किया गया था। जिसको वादी द्वारा दिनांक 27.05.2022 को पक्षकारान् की सहमति से विड्रो किया जा चुका है। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.07.2015 को पारित डिक्री को अपीलीय न्यायालय, राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 17.07.2018 द्वारा अपास्त किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिती में न्यायालय हाजा द्वारा पारित डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण संख्या 1864 से जो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 09 लगायत 21 का नाम बतौर खातेदार अमल दरामद किया गया था। वह शून्य हो चुका है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. बाबत् रिकॉर्ड की पूर्व स्थिती कायम किये जाने बाबत् न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पीपलू को आदेशित किया जाता हैं की बउनवानी शेर मोहम्मद बनाम गुल मोहम्मद वगै0 प्रकरण संख्या (57/2015) 110/2018 वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा में न्यायालय हाजा के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.07.2015 व नामान्तकरण संख्या 1864 दिनांक 18.01.2016 से पूर्व की स्थिती अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो एवं नियमानुसार नम्बर से कम हो।

(गणराज बडगोती, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)